छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा प्रथम सत्र अंक-17

रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 2014

(माघ-28, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05, 08 तथा 10 से 15 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या क्रमशः 06, 07 एवं 09 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री रोहित कुमार साय, गिरवर जंघेल एवं उमेश पटेल अनुपस्थित थे।

प्रश्न संख्या 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री भूपेश बघेल के स्थान पर श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 5 तारांकित एवं 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.सनम जांगडे, सदस्य ने जिला बलौदाबाजार में शाला भवनों के निर्माण कार्य में अनियमितता किए जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने जिला-सरगुजा अंतर्गत राजस्व अनुभाग सीतापुर में किसानों को मुआवजा वितरण न किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

4. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री धनेन्द्र साहू

(2) डॉ.खिलावन साहू

(3) श्री गुरूमुख सिंह होरा

(4) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी

(5) श्री दलेश्वर साहू

5. वक्तव्य

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने दिनांक 3 फरवरी, 2014 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक-33) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

6. वर्ष 2014-2015 की अनुदान मांगों पर चर्चा(क्रमशः)

(1) माननीय राजस्व मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-
श्री रामदयाल उईके ,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, सत्यनारायण शर्मा, नवीन मारकण्डेय, डा.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री रोशनलाल, जनकराम वर्मा,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, श्रीमती अनिला भेंडिया, डॉ. सनम जांगड़े, श्री भोलाराम साहू, श्रीमती सरोजनी बंजारे,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विद्यारतन भसीन, मोहन मरकाम, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, डॉ.विमल चोपड़ा, सर्वश्री केशव चन्द्रा, सियाराम कौशिक, कवासी लखमा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री संतोष बाफना, लखन देवांगन, (डॉ.) खिलावन साहू, दलेश्वर साहू, श्यामबिहारी जायसवाल, अमरजीत भगत, श्रीमती चम्पादेवी पावले, श्रीमती केराबाई मनहर ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने कृषि से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54, जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर सर्वश्री दलेश्वर साहू, जनकराम वर्मा, धनेन्द्र साहू, लालजीत सिंह राठिया, मोहन मरकाम, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-16 पर** डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, **मांग संख्या-23 पर** श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री भोलाराम साहू, रामदयाल उइके, सियाराम कौशिक, धनेन्द्र साहू, जनकराम वर्मा, दिलीप लहरिया, केशव चंद्रा, मोहन मरकाम, राजेन्द्र कुमार राय, लालजीत सिंह राठिया, दलेश्वर साहू, **मांग संख्या-45 पर** श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री रामदयाल उइके, सियाराम कौशिक, धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत, मोहन मरकाम, **मांग संख्या-51 पर** श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री श्याम बिहारी जायसवाल, रामदयाल उइके, लाभचंद बाफना (भाषण जारी)

सायं 7.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 18 फरवरी, 2014 (माघ 29, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा